



- भारत और ब्रिटेन ने आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद समझौता सम्पन्न हुआ।
- अंडमान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का प्रतिनिधिमंडल बेंगलुरु के आई आई टी एम पहुंचा।
- औद्योगिक इकाइयों के लिए सी टी ओ प्राप्त करने की समय सीमा इक्कीस अक्टूबर तक बढ़ाई गई।
- छोलदारी पी एच सी में परिवार विकास मेला का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य अधिकारियों ने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूक किया।



भारत और ब्रिटेन ने आज ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। यूके में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर के साथ समझौते के बाद कहा कि आज का दिन भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय सम्बन्धों के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता सम्पन्न हुआ है। इस व्यापार समझौते से सभी क्षेत्रों में भारतीय वस्तुओं के लिए व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित होने की उम्मीद है। इस व्यापार समझौते से वर्ष दो हजार चालीस तक भारत को ब्रिटिश निर्यात में साठ प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह समझौता "दीर्घकालिक साझेदारी के लिए एक आधारशिला" है, जो ब्रिटिश कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में सक्षम बनाएगा। प्रधान मंत्री श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। इस समझौते से भारतीय टेक्सटाइल्स, फुटवियर, रत्न और जेवरात, समुद्री भोजन और इंजीनियरिंग वस्तुओं को यूके में बेहतर बाजार मिलेगा।



अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स आज से बेंगलुरु में होने वाले इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में भाग ले रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री पासंग दोरजी सोना ने किया। ए एटी ओ के अध्यक्ष एम. विनोद प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। श्री विनोद ए एटी ओ के बीस से अधिक सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं जिसका उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अनूठी पर्यटन प्रस्तुतियों को बढ़ावा देना है जिसमें इको-पर्यटन, साहसिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन प्राकृतिक सौंदर्य शामिल हैं।



पी एम विकसित भारत रोजगार योजना के हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने और उसका प्रसार करने के लिए पिछले दिनों श्रम आयुक्त कार्यालय में नोडल अधिकारी कौशिक रॉय के साथ अन्य अधिकारियों ने एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। श्री रॉय ने योजना के विवरण पर विस्तार से प्रकाश डाला और प्रतिभागियों से रोजगार सृजन को अधिकतम सीमा तक लागू करने और प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के तहत लाभ उठाने का अनुरोध किया। इस योजना का लाभ एक अगस्त दो हजार पच्चीस से इक्कीस जुलाई दो हजार सत्ताईस के बीच रोजगार सृजन करने वालों को मिलेगा। सत्र के दौरान, श्रम आयुक्त एवं डी ई टी, के.श्रीनिवास राव ने योजना के प्रावधानों पर प्रकाश डाला।



अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बिना पूर्व प्रदूषण मंजूरी के स्थापित औद्योगिक इकाइयों के संचालन को नियमित करने की समय सीमा बढ़ा दी है। ए एन पी सी सी ने पाया है कि द्वीपसमूह में कई औद्योगिक इकाइयाँ आवश्यक प्रदूषण अनुमतियाँ प्राप्त किए बिना स्थापित और संचालित हो रही हैं। यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ए एन पी सी सी ने स्पष्ट कर दिया है कि इक्कीस अक्टूबर के बाद इकाइयों से कोई भी सी टी ओ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए स्थापना से पहले सी टी ई प्राप्त करें। सभी हितधारकों और औद्योगिक उद्यमियों के यह जानना आवश्यक है कि उद्योग स्थापित करने से पहले सी टी ई और संचालन शुरू करने से पहले सी टी ओ प्राप्त करना एक वैधानिक आवश्यकता है। दोनों सहमति के लिए आवेदन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा होने चाहिए अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, उन्नीस सौ छियासी के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

